2019/01048

न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला–जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मुबीन खांन पुत्र महेन्द्रखां जाति मुसलमान निवासी खेंगासर तहसील बाप जिला जोधपुर।		1. महेन्द्रखां पुत्र अकबरखां 2. मोहम्मद शरीफ पुत्र महेन्द्रखां 3. यातों खातु पुत्री महेन्द्रखां 4 शरीफों खातु पुत्री महेन्द्रखां 5 नूर खातु पुत्र महेन्द्रखां 6 हिदायत खातु पुत्री महेन्द्रखां 7 जरीनों खातु पुत्री महेन्द्रखां 8 हबीबों खातु पुत्री महेन्द्रखां 9 कमला खातु पुत्री महेन्द्रखां 10 रमजान खां पुत्र महेन्द्रखां 11 फकरदीन पुत्र भीखेखां 12 हनीफखां पुत्र भीखेखां 13 गुलाबी पत्नि भीखेखां जाति मुसलमान नि. खेगासर तहसील बाप जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :– 145/2019

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी
2. अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 10 की ओर से श्री रविन्द्रसिंह भाटी

दिनांक : 15.11.2019

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार निम्नानुसार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। उक्त वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद पूर्णतया साबित है और प्रार्थी को उक्त वाद में सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। कि खसरा नंबर 877 रकबा 0.03 बीघा व खसरा नंबर 892 रकबा 1.04 बीघा महादेवनगर पटवार क्षेत्र चाखू में स्थित उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थी व अप्राथीगण संख्या 2 ता 10 के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता अकबरखां पुत्र फरीदखां के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त

वादग्रस्त भूमि ग्राम महादेवनगर पटवार क्षेत्र चाखू के खसरा नंबर 877 रकबा 151.03 बीघा खसरा नंबर 892 रकबा 1.04 बीघा कुल रकबा 152.07 बीघा भूमि के पूर्व खातेदार अकबरखां पुत्र फरीदखां फौत हुए तो मुतवफी अकबरखां के फौतेदगी का नामान्तरकरण प्रार्थी संख्या 1 के नाम भरा जाकर स्वीकृत हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमि जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है जो राजस्व रेकर्ड से प्रमाणित है इसलिये ग्राम महादेवनगर पटवार क्षेत्र चाखू के खसरा नंबर 877 रकबा 151.03 बीघा खसरा नंबर 892 रकबा 1.04 बीघा कुल रकबा 152.07 बीघा भूमि में प्रार्थी को 1/22 हिस्से की भूमि का तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 प्रत्येक को 1/22–1/22 हिस्से भूमि का हिस्सेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी अनुसार ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में बंटवाड़ा करवाने के आदेश जारी किये जावे। प्रार्थी का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में आज दिन तक किसी ने भी किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं की है। लेकिन दिनांक 15/06/19 को प्रार्थी व उसके परिवार के लोग अपने हिस्से की भूमि की सर संभाल कर रहे थे की अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के कब्जा काश्त वाली भूमि में अपने साथ कुछ अजनबी व्यक्तियों को लेकर आया और प्रार्थी को धमी दी की उक्त भूमि को मै अजनबी व्यक्यिों को बैचान कर दूंगा व मेरे नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि तुम्हारे भाईयों के नाम करवा दूंगा, आप उक्त कब्जा छोड़ दो नहीं तो तुम्हे उक्त भूमि से जार जबरदस्ती बेदखल कर देंगे। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के हक में तथा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की जारी की जावे की प्रार्थी के अपने हिस्से 1/22 हिस्से की भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करवाये जाने तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरवावें। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 10 की ओर से विद्वान श्री रविन्द्रसिंह ने मूल वाद में वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र में जवाब पेश नहीं किया गया। शेष अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही हमारे में लाई गई। पत्रावली बहस हेतु प्रस्तुत हुई।

वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्व में आपसी सहमति का बंटवाड़ा कर प्रार्थी को उसके 1/22 हिस्से की भूमि पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। प्रार्थी ने बंटवाडे से प्राप्त भूमि पर अपनी आवश्यकीय ढाणी, पानी का टांका इत्यादि बना रखे है। जिसमें प्राथी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का वर्तमान में कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने को आमादा है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी प्रकार का कोइ विरोध प्रकट नहीं किया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का तुलनात्मक संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व, तादावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 10 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2019.12.06 18:34:44 IST
Reason: SelfAttested
Location:

यों को सही होना बताते हुए माफिक इस्तदुआ तादावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी पक्ष में तादावा फैसला जारी किये जाने हेतु सहमति जाहिर कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कार फरमाया जावे।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का *लोकन किया गया। बहस पर चिन्तन किया गया बाद चिन्तन एवं अवलोकन करने पर* गया कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा पैतृक भूमि होने से बनता है। जो बंदी सम्वत 2072–75 से प्रथमदृष्टया साबित है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ किसी भी प्रकार का कोई विरोध जाहिर नहीं किया है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 के द्ध तादावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः र्ण विचारण एवं अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से कार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई ज्ञा प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की जारी की जाती है कि महादेवनगर पटवार क्षेत्र चाखू के खसरा नंबर 877 रकबा 151.03 बीघा व खसरा 892 रकबा 01.04 बीघा कुल रकबा 152.07 बीघा भूमि में प्रार्थी के पैतृक 1/22 की भूमि में अप्राथी संख्या 1 न तो स्वयं और न ही अन्य किसी से किसी भी प्रकार खंल अंदाजी नहीं करावे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु द रहेगे। पत्रावाली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 15.11.2019 को सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सहायक कलेक्टर
बाप (जिला जोधपुर)